

विद्या अधिन उभयपक्ष सुनी गरी वाद  
कोदेय र. 31-5-14 का पेश ही

31-5-14 पत्रावली पत्र वकील पक्षकार

उपरो में लाठ पत्र खारिज किया  
जाता है निर्णय अलग है

निष्पत्ति पाकर शान्तता किया  
गया ( पत्रावली कलम सुना

लोक दल दो ल

एस. टी. मीना  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
रामाजिबजी